यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत चलेंगे छह सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज

बिशन सिंह बोरा

देहरादून। प्रदेश के छह सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत चलेंगे। सरकार इन कॉलेजों में होने वाली नियुक्तियों और पदोन्नति में समानता के लिए इन्हें उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाने की तैयारी में है। तकनीकी शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक इसके प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा।

प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में होने वाली नियुक्तियों और पदोन्नतियों में अक्सर नियमों की अनदेखी के मामले सामने आते रहे हैं। यह भी आरोप लगे हैं कि पदोन्नतियों में कुछ कॉलेजों ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के नियमों की अनदेखी की है। तकनीकी शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक अभी सभी कॉलेज अलग-अलग नियमावली से चल रहे हैं। सभी कॉलेजों को एक समान अधिनियम के दायरे में लाया जा सके इसके लिए टनकपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलोजी टिहरी, इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तरकाशी, इंजीनिरिंग कॉलेज पिथौरागढ़, डब्ल्यूआईटी देहरादून और इंजीनियरिंग कॉलेज गोपेश्वर को उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे कैंपस

यूनिवर्सिटी के नियंत्रण में होंगे सभी कॉलेज

यूटीयू का कैंपस बनाए जाने से प्रदेश के छह इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी के नियंत्रण में होंगे। प्रशासनिक गतिविधि एवं अन्य कार्यों पर भी यूनिवर्सिटी का नियंत्रण होगा। वर्तमान में यूटीयू से ये सभी इंजीनियरिंग कॉलेज संबद्ध हैं। इन कॉलेजों को मिलाकर यूनिवर्सिटी से 12 सरकारी और 81 निजी कॉलेज संबद्ध हैं।

> यूटीयू और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजो में जिस तरह काम होना चाहिए वह नहीं हो रहा। यूनिवर्सिटी का काम केवल पेपर कराने और डिग्री देने तक सीमित है। व्यवस्था में सुधार के लिए इन कॉलेजों को कैंपस बनाया जा रहा है। **सुबोध उनियाल,** तकनीकी शिक्षा मंत्री

यूनिवर्सिटी का कैंपस कॉलेज बनाया जाएगा। तकनीकी शिक्षा सचिव के मुताबिक सभी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लेकिन विभिन्न वजहों से ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। कुछ कॉलेजों में निदेशक न होने से इनमें जिलाधिकारियों को प्रशासक बनाया गया है। नियुक्तियों में भी मनमानी के मामले सामने आते रहे हैं।